न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 17 / 2022

1 जीवण पुत्र श्री धन्नाराम जाति खटिक निवासी सात बती के पास बणी रोड़ उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 किशोर पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल
2 चौथूराम पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल
3 मक्खनलाल पुत्र बालुराम
4 रिछपाल पुत्र बालूराम
4/1 मोहरली देवी पत्नी रिछपाल
4/2 सुनिल कुमार पुत्र रिछपाल
4/3 मन्जू पुत्री रिछपाल
5 सुरजाराम पुत्र रूड़ाराम जाति माली
5/1 दुर्गी देवी पत्नी सुरजाराम जाति माली
5/2 माडूराम पुत्र सुरजाराम जाति माली
5/3 दुलाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली
5/4 प्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति माली
5/5 सुमेर पुत्र सुरजाराम जाति माली
6 महाबीर पुत्र खेमाराम जाति माली
6/1 शांति देवी पत्नी महाबीर जाति माली
6/2 मुकेश कुमार पुत्र महावीर जाति माली
6/3 कमलेश पुत्र महावीर जाति माली
6/4 सुभाष पुत्र महावीर जाति माली
6/5 सुमित्रा पुत्री महाबीर जाति माली
7 श्रीमती संतोष पत्नी मनोहरलाल
7/1 रोहिताश पुत्र
7/2 कृष्ण पुत्र
7/3 चमेली पुत्री

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7/4 कौशल्या पुत्री
7/5 सुशीला पुत्री
7/6 रिंकू पुत्री
7/7 अनिता पुत्री मनोहरलाल
समस्त निवासीगण ग्राम धनावता तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.
।
8 अनिल पुत्र धन्नाराम
9 सुभाष पुत्र धन्नाराम
10 जयप्रकाश पुत्र धन्नाराम
11 छोटी देवी पत्नी धन्नाराम
12 संतरा देवी पुत्री धन्नाराम
13 सुशीला पुत्री धन्नाराम
14 सावित्री पुत्री धन्नाराम
15 तारामणी पत्नी धन्नाराम
16 अंजू देवी पुत्री धन्नाराम
17 खुशी पुत्री किशन
18 सुजाता पुत्री किशन
19 प्रियंका पुत्री किशन
20 प्रमोद पुत्र किशन
समस्त जाति खटिक समस्त निवासीगण सात बती के पास बणी रोड़ उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
21 शिवकरण पुत्र गोपालराम जाति खटिक निवासी कुआं गुजरातन वार्ड नम्बर 5 कस्बा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
22 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.02.2022
बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी
किशोर आदि बनाम जीवण आदि मु.नं. 138/2019
आर.सी.एम.एस 2019/00309

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 11/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2019 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 8 लगायत 21 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 301 व 286 वाके ग्राम धनावता में से रास्ता कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2022 को स्वीकार कर अदालत द्वारा अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 301 (4 मीटर X 70 मीटर = 280 वर्ग मीटर) एवं अन्य खसरा नम्बर 286 (4 मीटर X 90 मीटर = 360 वर्गमीटर) में से कुल 640 वर्ग मीटर रास्त कायम किये जाने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र राजसीान टिनेन्सी (गर्वमेन्ट) रूल्स के मुताबिक पेश नहीं किया। नियम 68 के मुताबिक प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने नियम 69 की पालना नहीं की है। उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा तहसीलदार उदयपुरवाटी को यह आदेश दिया गया था कि पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौके पर जाकर स्वयं मौके की रिपोर्ट तैयार करें परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा पूर्व में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार ही मौके की रिपोर्ट तैयार कर ली तथा फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है एव ना ही इस रिपोर्ट के साथ पक्षकारों को जारी किये गये नोटिस संलग्न है। अतः स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के निर्देशो की अवहेलना करके तहसीलदार

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उदयपुरवाटी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 तैयार की गई है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 301 में से कभी कोई रास्ता प्रचलन में नही रहा। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 अपीलान्ट से ईष्या रखते है तथा उसके खेत से जबरदस्ती नया रास्ता कायम करना चाहते है। दिनांक 10. 09.2021 की फर्द मौका जांच रिपोर्ट में तहसीलदार ने स्वयं माना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा बताये जा रहे प्रचलित रास्ते पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। अपीलान्ट ने अपने खेत में आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबंदी कर रखी है तथा आवागमन हेतु गेट लगा रखा है अतः स्पष्ट है कि मौके पर कभी कोई रास्ता आवागमन हेतु अपीलान्ट के खेत से होकर नहीं गुजरा है तथा ना ही वर्तमान में कोई रास्ता प्रचलन में है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251 ए (काश्तकारी अधिनियम) यह स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि सुलभतम एवं निकटतम रास्ता कायम किया जायेगा। इस प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रस्तावित रास्ते पर अपीलान्ट का मकान बना है। यदि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी। राजस्व नक्शा को देखने से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के लिये मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ते मौजुद है एवं केवल अपीलान्ट को परेशान के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आदेश को जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा अपील में आने आदेश दिनांक 11.09.2007 द्वारा पक्षकारों को सुनकर तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 31.01.2007 को निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 301 में से कोई रास्ता नहीं माना गया है। पूर्व में इनमें से कुछ रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 301 में से रास्ता घोषित करवाने हेतु सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया था जो कि सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी द्वारा खारिज किया जा चुका है। इन दोनों पूर्व निर्णयों से रेस्पोडेन्ट पाबंद है तथा विचारण न्यायालय भी पाबंद है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01. 02.2022 में उक्त दोनों पूर्व निर्णयों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अतः इस आधार पर भी विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धनावता भूमि खसरा नम्बर 266, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 688/294, 294, 295, 296 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 व 286 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बी से सी रास्ता चाहा है तथा अपनी खातेदारी की भूमि से सी से डी रास्ते को कटाणशुदा घोषित करवाना चाहते है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 अनुसार चाहा गया रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 301 में लोहे का गेट लगाकर बंद किया हुआ है तथा शेष खसरा नम्बर 286, 292, 293, 296 में मौके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है एवं रास्ता चालू है। खसरा नम्बर 301 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ता स्थित है लेकिन इसी खसरा नम्बर के उत्तरी पूर्वी कोने पर एक मकान बनाकर रास्ता अवरूद्ध किया हुआ है। खसरा नम्बर 301 में उत्तरी पूर्वी कोने पर स्थित मकान के पश्चिम सीमा पर आवागमन के निशानात पाये गये। शेष खसरा नम्बरान में मौके पर रास्ता खुला है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कदीमी रास्ता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 295 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक एवं कम दूरी का रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम धनावता भूमि खसरा नम्बर 266, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 688/294, 294, 295, 296 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 व 286 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नजरी नक्शे में दर्शित बी से सी रास्ता चाहा है तथा अपनी खातेदारी की भूमि से सी से डी रास्ते को कटाणशुदा घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 301 में रास्ता कायम करने हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा कैम्प धनावता में दिनांक 31.01.2007 को रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये थे। उपरोक्त आदेश को जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा अपील में अपने आदेश दिनांक 11.09.2007 द्वारा पक्षकारों को सुनकर तहसीलदार उदयपुरवाटी के आदेश दिनांक 31.01.2007 को निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश में अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 301 में से कोई रास्ता नहीं माना गया है। पूर्व में इनमें से कुछ रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 301 में से रास्ता घोषित करवाने हेतु सिविल वाद भी प्रस्तुत किया गया था जो कि सिविल न्यायाधीश उदयपुरवाटी द्वारा खारिज किया जा चुका है। इन दोनों पूर्व निर्णयों से रेस्पोडेन्ट पाबंद है तथा विचारण न्यायालय भी पाबंद है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.02.2022 में उक्त दोनों पूर्व निर्णयों के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है।

प्रकरण में दिनांक 10.09.2021 की फर्द मौका जांच रिपोर्ट में तहसीलदार ने स्वयं माना है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 द्वारा बताये जा रहे प्रचलित रास्ते पर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। अपीलान्ट ने अपने खेत में आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबंदी कर रखी है तथा आवागमन हेतु गेट लगा रखा है। धारा 251 ए (काश्तकारी अधिनियम) यह स्पष्ट रूप से उपबंधित करती है कि सुलभतम एवं निकटतम रास्ता कायम किया जायेगा। इस प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वयं अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रस्तावित रास्ते पर अपीलान्ट का मकान बना है। यदि तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ही रास्ता कायम किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूरणीय क्षति होगी।

इस प्रकरण में विचारण न्यायालय को सर्वप्रथम यह निर्धारित करना है कि मौके पर पूर्व से प्रचलित रास्ता है अथवा नहीं एवं प्रकरण धारा 251 की परिधि में आता है अथवा धारा 251 ए के अन्तर्गत विचारणीय है। विचारण न्यायालय ने इन विधिक बिन्दुओं पर विवेचन किए बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सर्वप्रथम यह निर्धारित करें कि मौके पर पूर्व से प्रचलित रास्ता है अथवा नहीं एवं प्रकरण धारा 251 की परिधि में आता है अथवा धारा 251 ए के अन्तर्गत विचारणीय है। इस निर्धारण के उपरांत उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर